मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976

(1976 का 19)

विषय सूची

अध्याय पहला- प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार ।
2. परिभाषाए ।

दूसरा-अध्याय - राज्य होम्योपैथिक परिषद का गठन

3. राज्य होम्योपैथिक परिषद का गठन ।
4. निर्वाचन का ढंग ।
5. परिषद की सदस्यता के लिये निरर्हताएं ।
6. परिषद का निगमन ।
7. परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि ।
8. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ।
9. कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां ।
10. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य ।

तीसरा-अध्याय - परिषद् तथा उसकी समितियों के कामकाज का संचालन

11. परिषद के सम्मिलन ।
12. गणपूर्ति ।
13. समितियों के सम्मिलन ।
14. परिषद तथा उसकी समितियों में होने वाली रिक्तियों से कार्यो, आदि का अविधिवत् न होना ।
15. सदस्यों के लिये पारिश्रमिक का प्रतिषेध ।

अध्याय-चौथा - परिषद निधि, बजट तथा संपरीक्षा

16. परिषद निधि का गठन ।
17. लेखे तथा सपरीक्षा ।
18. बजट।

अध्याय-पांचवा - परिषद् का रजिस्ट्रार तथा उसके अन्य कर्मचारी

19. रजिस्ट्रार ।
20. परिषद के अन्य कर्मचारी ।

छटवा-अध्याय - रजिस्ट्रीकरण

21. होम्योपैथी का राज्य रजिस्टर ।
22. रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार व्यक्ति ।
23. रजिस्टर मे अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि ।
24. चिकित्सीय व्यवसाय के लिये अस्थायी रजिस्ट्रीकरण

25. रजिस्टर से नाम हटाया जाना
26. राज्य रजिस्टर मे प्रविष्ट किये गये नामो का प्रकाशन

सातवां-अध्याय - रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार

27. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार
28. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियो द्वारा व्यवसाय आदि करने का प्रतिषेध
29. उपाधि या उपाधि-पत्र का मिथ्याग्रहण अपराध होगा ।
30. उपाधि या उपाधि-पत्र आदि के अप्राधिकृत रूप से प्रदान किये जाने का प्रतिषेध ।
31. फीस का वापस न किया जाना ।

आठवां-अध्याय

होम्योपैथी की शिक्षा परीक्षाओं का संचालन, अध्यन-पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को मान्यता

32. परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षाए तथा अध्ययन पाठ्यक्रम और होम्योपैथी मे गवेषणा
33. संस्थाओं को मान्यता ।
34. स्तर को बनाये रखना ।.
35. परिदर्शको, निरीक्षको तथा परिदर्शक समितियों की नियुक्ति ।
36. मान्यता का प्रत्याहरण ।
37. छात्रवृति, वृत्तिकायें तथा पारितोषक ।
38. दीक्षांत-समारोह का किया जाना, सम्मानिक उपाधियो का प्रदान किया जाना ।
39. पाठ्य-पुस्तकों आदि का प्रकाशन ।

नवा-अध्याय - नियंत्रण

40. राज्य सरकार का नियत्रण ।
41. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जानकारी प्रस्तुत करेगे ।
42. परिषद के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति ।

दसवां-अध्याय - प्रकीर्ण

43. दस्तावेज पेश करने के लिये परिषद ये सेवकों को समन करने पर निबंधन ।
44. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियो का परित्राण ।
45. परिषद् का रजिरट्रार तथा अन्य सेवक लोक सेवक होगे ।
46. अपराधो का संज्ञान ।
47. असेसर की नियुक्ति ।
48. अपीले ।
49. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।
50. शास्ति ।

ग्यारहवां-अध्याय - नियम तथा विनियम

51. नियम बनाने की शक्ति ।
52. विनियम बनाने की शक्ति ।

बारहवां-अध्याय - व्यावृत्ति

53. व्यावृत्ति ।

तेरहवा-अध्याय - अस्थायी उपबन्ध

54. अस्थायी उपबन्ध
55. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।
56. निरसन ।

मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976

[दिनांक 15 मार्च 1976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) मे दिनांक 15 मार्च 1976 को प्रथमवार प्रकाशित की गई]

राज्य होम्योपैथी परिषद् के गठन के लिये उपबन्ध करने तथा राज्य में होम्योपैथी के व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण विनियमित करने के लिये एवं उससे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

इस विषय पर पूर्व में दि मध्यप्रदेश होम्योपैथिक एंड बायोकैमिक प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1951 (1951 का म. प्र. अधिनियम स. 26) 20.2.1959 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 20.2.1959 से लागू किया गया था । उक्त अधिनियम म. प्र होम्योपैथी परिसर अध्यादेश, 1975 (1975 का म. प्र. अध्यादेश सं. 13) द्वारा निरसन किया जाकर उसके स्थान पर यह अधिनियम लाया गया है ।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

पहला अध्याय-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है ।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि सदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अनुमोदित संस्था"** से अभिप्रेत है चिकित्सालय, स्वास्थ्य-केन्द्र या ऐसी अन्य संस्था जिसमें कोई व्यक्ति, उसे होम्योपैथी मे चिकित्सीय अर्हता प्रदान की जाने के पूर्व अपने अध्ययन-पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि कोई हो प्राप्त कर सके

(ख) **"परिषद्"** से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित राज्य होम्योपैथी परिषद

(ग) **"सूचीबद्ध व्यवसायी"** से अभिप्रेत है होम्योपैथी का ऐसा व्यवसायी जिसका नाम निरसित एक्ट के अधीन बनाये रखी गई सूची में प्रविष्ट है ;

(घ) **"होम्योपैथी"** से अभिप्रेत है डाक्टर एस. हेनीमैन द्वारा प्रतिष्ठापित चिकित्सा पद्धति और उसके अन्तर्गत आती है डाक्टर शुचलर की बायोकेमिक उपचार पद्धति, चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियों द्वारा, जैसी कि परिषद समय-समय पर अवधारित करे उसकी अनुपूर्ति की गई हो या न की गई हो, और अभिव्यक्ति "होम्योपैथिक" का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा,

(ड) **"चिकित्सीय संस्था"** से अभिप्रेत है राज्य के भीतर या बाहर स्थित कोई ऐसी संस्था जो होम्योपैथी में उपाधियां उपाधि-पत्र या अनुज्ञप्तियां प्रदान करती हो

(च) **"मान्यता प्राप्त संस्था"** से अभिप्रेत है धारा 33 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था :

(छ) **"मान्य अर्हता"** से अभिप्रेतैं है अनुसूची मे सम्मिलित की गई होम्योपैथी संबंधि चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी चिकित्सीय अर्हता ;

(ज) **"रजिस्टर"** से अभिप्रेत है धारा 21 के अधीन रखा गया रजिस्टर ;

(झ) **"रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट हो ;

(ञ) **"विनियमन"** से अभिप्रेत है धारा 52 के अधीन बनाया गया विनियमन

(ट) **"निरसित एक्ट"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होम्योपैथिक एण्ड बायोकैमिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1951 (क्रमांक 26 सन् 1951) ;

(ठ) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है भारत मे स्थित कोई भी विश्वविद्यालय जो विधि द्वारा स्थापित किया गया हो तथा जिसमें होमियापैथी का संकाय हो और उसके अन्तर्गत आता है भारत मे विधि द्वारा स्थापित किया गया ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें होम्योपैथी मे शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण या गवेषणा के लिये प्रबन्ध किया गया हो ।

दूसरा अध्याय-राज्य होम्योपैथी परिषद का गठन

3. राज्य होम्योपैथी परिषद का गठन.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य होम्योपैथी परिषद का गठन करेगी जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) राज्य के प्रत्येक राजस्व आयुक्त सभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो उस संभाग मे होम्योपैथी के व्यवसायी के रूप मे रजिस्टर में दर्ज किये गये व्यक्तियों द्वारा उपने में से निर्वाचित किया जायेगा

(ख) एक सदस्य जो निम्नलिखित मे से प्रत्येक में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा:-

(एक) राज्य के मान्यता प्राप्त होम्योपैथी महाविद्यालयों के प्राचार्य ;

(दो) राज्य के मान्यता प्राप्त होम्योपैथी महाविद्यालयों के अध्यापक ;

(तीन) राज्य चिकित्सीय सेवा के वे सदस्य जो होम्योपैथी का व्यवसाय करते हो

(ग) पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे अर्थात दो सदस्य उन व्यक्तियों में

से होंगे जिन्हें होम्योपैथी के बारे मे विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो तथा तीन सदस्य उन व्यक्तियों में से होगे जिन्हे अन्य सबद्ध चिकित्सीय पद्धतियों (रिलेटेड मेडिकल डिसिप्लीन) मे विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो ;

(घ) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा

(ङ) उपसंचालक, होम्योपैथी, मध्यप्रदेश

परन्तु परिषद के प्रथम गठन के लिये खण्ड (क) के अधीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियो मे से नामनिर्देशित किये जायेगे जो कि उस रूप मे निर्वाचित किये जाने के लिये उक्त खण्ड (क) के अधीन अर्हित हो :

परन्तु यह और भी कि यदि प्रथम परिषद् किसी कारण से, इस अधिनियम के प्रारभ होने की तारीख को गठित न हो पाये या उसे अस्तित्व मे नहीं लाया जा सकता हो तो राज्य सरकार, छः माह से अनधिक कालावधि के लिये किसी व्यक्ति को परिषद के भारसाधक अधिकारी, के रूप मे नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी, राज्य सरकार के नियत्रण के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन परिषद् की समस्त शक्तियो का प्रयोग करेगा तथा उसके समस्त कर्तव्यो का पालन करेगा और वह अपनी सेवाओ के लिये ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाय, परिषद निधि से प्राप्त करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि परिषद् पूर्वाक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित हो जाये, तो भारसाधक अधिकारी नवीन रूप से गठित परिषद के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा ।

(2) परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, परिष द के सदस्यों द्वारा अपने मे से ऐसी रीति मे निर्वाचित किये जाएगे जैसी कि विहित की जाए

परन्तु यह कि परिषद के प्रथम गठन के लिये, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन. राज्य सरकार द्वारा, प्रथम परिषद् के सदस्यों मे से किया जायेगा ।

4. निर्वाचन का ढँग.- (1) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन का सचालन राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा ऐसे नियमो के अनुसार किया जायेगा जो कि इस सबध मे राज्य सरकार द्वारा बनाये जाय ।

(2) जहा परिषद् के लिये किसी निर्वाचन के सबध मे कोई विवाद उदभूत हो, वहा वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

5. परिषद की सदस्यता के लिये निरर्हताएं - (1) कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप मे चुने जाने तथा उसके सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा :-

(क) यदि वह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमे कि नैतिक अधमता अन्तर्वलित है

(ख) यदि वह विकृत चित्त को हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप मे घोषित कर दिया गया हो

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो

(घ) यदि वह परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी हो

(ङ) यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो

(च) यदि वह परिषद, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का पदच्युत कर्मचारी हो,

(छ) यदि वह परिषद के साथ, परिषद द्वारा या परिषद की ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई अंश या हित रखता हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय. सदस्य के रूप मे एक से अधिक हैसियत मे सेवा नहीं कर सकेगा ।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) मे विनिर्दिष्ट प्रवर्गो मे से किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति, उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा ।

6. परिषद् का निगमन.- परिषद, राज्य होम्योपैथी परिषद, मध्यप्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार 'होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जगम तथा स्थावर दोनो प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और सविदा करेन की शक्ति प्राप्त होगी और वह उक्त नाम से बाद चलायेगी तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जायेगा ।

7. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.- (1) परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन की तारीख से पांच वष की अवधि तक या उसके उत्तराधिकारी का सम्यक् रूप से निर्वाचन या नाम-निर्देशन होने तक, इनमे से जो भी अवधि दिर्धतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद लगातार दो कालावधियो के लिये धारण करता हो, उस पद पर पुन: निर्वाचित किया जाने के लिये पात्र नहीं होगा ।

(3) परिषद के सदस्य पुन:-निर्वाचित किये जाने या पुनःनामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे ।

(4) किसी भी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य के संबध मे यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है-

(क) यदि वह -परिषद के तीन लगातार साधारण सम्मिलनो से ऐसे प्रति हेतु के बिना अनुपस्थित रहे जो कि परिषद की राय में पर्याप्त हो; या

(ख) यदि वह धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई निरर्हताओं मे से किसी भी निरर्हता का

भागी हो जाये या

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किये गये सदस्य के मामले में, यदि वह रजिस्टर में नामांकित न रह जाय या

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य के मामले मे, यदि वह उस पद पर न रहे जिसके कि आधार पर उसका इस प्रकार नामनिर्देशन किया गया हो और तदुपरान्त परिषद उसका स्थान घोषित करेगी :

परन्तु परिषद् किसी स्थान को तब तक रिक्त घोषित नहीं करेगी जब तक कि सबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) परिषद में होने वाली आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, निर्वाचन. या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी. और उस रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित किया गया या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस अवधि के शेष काल के लिये पद धारण करेगा जिसके लिये कि वह सदस्य जिसका कि स्थान वह लेता हो, निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया था ।

(6) जहा किसी सदस्य के बारे मे पांच वर्ष की उक्त अवधि का अवसान होने से वहा उक्त अवधि का अवसान होने के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय प्राधिकारी का निर्वाचन या नामनिर्देशन किया जा सकेगा किन्तु वह उत्तराधिकरी तब तक पद ग्रहण नही करेगा जब तक कि उक्त अवधि का अवसान न हो जाय ।

8. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.- (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से ऐसे बहुमत से, जो परिषद मे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो और ऐसा बहुमत तत्समय परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल सख्या के आधे से अधिक हो, परिषद द्वारा पारित किये गये संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा :

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के आशय को कम से कम 4 दिन की सूचना न दे दी गई हो ।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसके कि विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया हो, पद धारण करने से तत्काल परिविरत हो जायगा और अध्यक्ष के हटा दिए जाने की दशा में उपाध्यक्ष उस समय तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाए ।

(3) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो तथा विनियमो मे अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमे कि उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी हो । ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश द्वारा या उसके इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा की जायेगी । तथापि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलन की कार्यवाहियो मे बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सम्मिलन विहित रीति में किया जायगा ।

9. कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां.- (1) परिषद अपने सदस्यो मे से एक कार्यकारिणी समिति का तथा साधारण या विशेष प्रयोजनों के लिये ऐसी अन्य समितियों का गठन करेगी जिन्हे कि परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे ।

(2) कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से, जो सदस्य होंगे, तथा ऐसे अन्य पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों मे से निर्वाचित किये जायेगे जिनमें से कम से कम तीन सदस्य परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों मे से होंगे ।

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के क्रमश: अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगे ।

(4) कार्यकारिणी समिति, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों तथा इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियो का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यो का पालन करेगी जिन्हे कि परिषद किन्हीं ऐसी विनियमो द्वारा, जो कि इस संबंध मे बनाये जाय, उसे प्रदत्त करे या उस पर अधिरोपित करे ।

(5) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने में, परिषद् के नियत्रणाधीन होगी और परिषद् ऐसी समिति द्वारा पारित किये गये किसी आदेश को या उसके द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को पुनरीक्षित करने या उसे विखण्डित करने के लिये सक्षम होगी ।

10. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां एवम् कर्तव्य- (1) अध्यक्ष को, परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाने की शक्ति प्राप्त होगी । वह परिषद, कार्यकारिणी समिति तथा ऐसी अन्य समितियो के सम्मिलनो की, जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे, कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रयोजन के लिये आवश्यक शक्तिया प्राप्त होंगी ।

(3) अध्यक्ष, परिषद् के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और परिषद, कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों के विनिश्चयो को कार्यान्वित करेगा ।

(4) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग करेगा जो कि परिषद द्वारा उसे प्रदत्त की जाए।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस बात के लिये सशक्त कर सकेगा कि वह उसके (अध्यक्ष के) नियत्रण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष की शक्तियों, कर्त्तव्यो या कृत्यों में से किसी एक या एक से

अधिक शक्तियो का प्रयोग करे, अध्यक्ष के एक या एक से अधिक कर्त्तव्यो का पालन करे या उसके एक या एक से अधिक कृत्यों का निर्वहन करे ।

(6) उपाध्यक्ष

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन करेगा, और

(ख) अवसर आने पर किसी भी समय, अध्यक्ष द्वारा उपधारा (5) के अधीन उसे प्रत्यायोजित किये गये किसी भी कर्त्तव्य का पालन तथा प्रत्यायोजित की गई किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा ।

तीसरा अध्याय-परिषद् तथा उसकी समितियों के काम काज का संचालन

11. परिषद के सम्मिलन-- परिषद् अपने सम्मिलन करेगी और समय-समय पर अपने सम्मिलन के स्थान, दिन, समय, प्रबन्ध तथा स्थगन के बारे में ऐसी व्यवस्था, जैसी कि वह उचित समझे, निम्नलिखित उपबधो के अध्यधीन रहते हुए, करेगी, अर्थात् :-

(क) साधारण सम्मिलन सामान्यत: प्रत्येक छ: मास में कम से कम एक बार होगा

(ख) अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, विशेष सम्मिलन बुला सकेगा तथा तत्समय परिषद का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर, विशेष सम्मिलन बुलायेगा

(ग) प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनो की अनुपस्थिति में किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जो सम्मिलन के लिये उपस्थित सदस्यो द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये चुना जाय ;

(घ) किसी भी सम्मिलन में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और मतो के बराबर-बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा

(ङ) उपस्थित सदस्यों के नाम और प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियो का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये दी जाने वाली पुस्तक में अभिलिखित किया जायगा

(च) कार्यवृत्त का अनुमोदन परिषद द्वारा उसी सम्मिलन में या ठीक आगामी सम्मिलन में किया जायगा और उस पर अध्यक्ष द्वारा या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसकी एक प्रतिलिपि अनुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को अग्रेषित की जायगी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे ।

12. गणपूर्ति.- (1) विशेष सम्मिलन के लिये गणपूर्ति ग्यारह सदस्यो से होगी और साधारण सम्मिलन के लिये गणपूर्ति चार सदस्यो से होगी ।

(2) यदि परिषद के किसी विशेष या साधारण सम्मिलन में गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष

सम्मिलन को उतने समय के लिये या एसे अन्य दिन मे लिये जैसा कि वह उचित समझे, स्थगित कर देगा और वह कामकाज, जो मूल सम्मिलन के समक्ष उसमे गणपूर्ति होने की दशा में लाया जाता, स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जायगा तथा उसमे सम्पादित किया जायगा चाहे उसमे गणपूर्ति हो या न हो।

13. समितियों के सम्मिलन.- (1) धारा 9 के अधीन गठित समितियां प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार, कितनी ही बार किन्तु कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर, जो कि परिषद द्वारा नियत किया जाय, सम्मिलन करेगी ।

(2) जब तक कि नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाय, समिति के कुल सदस्यों की सख्या के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी और समिति के समस्त कार्य उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे ।

14. परिषद् तथा उसकी समितियों में होने वाली रिक्तियों से कार्यो, आदि का अविधिवत् न होना.- परिषद या उसकी किसी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायगा कि यथास्थिति परिषद या समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन मे कोई त्रुटि है ।

15. सदस्यों के लिये पारिश्रमिक का प्रतिषेध.- परिषद द्वारा किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई परिश्रमिक या भत्ता, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार ही दिया जायगा अन्यथा नहीं ।

चौथा अध्याय-परिषद् निधि, बजट तथा संपरीक्षा

16. परिषद् निधि का गठन.- (1) एक निधि स्थापित की जायगी जो परिषद निधि कहलायगी और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायंगे :-

(क) इस अधिनियम के अधीन किये गये रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में सग्रहीत समस्त फीस ;
(ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं के सबध में सग्रहीत समस्त फीस ;
(ग) कोई भी अन्य फीस जो परिषद द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन प्रभारित तथा संग्रहीत की जाय
(घ) कोई भी अनुदान या उधार जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिये जायं ;
(ङ) कोई भी अनुदान या उधार जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिये जायं ।
(च) समस्त ऐसी राशियां जो परिषद द्वारा संदान, न्यास, वसीयत या किसी अन्य अनुदान के रूप में प्राप्त की जायं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई परिषद उन समस्त व्ययों तथा दायित्वों की पूर्ति

करने के लिये खर्च की जायगी जो कि परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिये उचित रूप से उपगत किये गये हों ।

(3) परिषद निधि मे जमा हुये समस्त धन स्टेट बैंक आफ इंडिया में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य बैंक में या किसी सहकारी बैंक में जमा किये जायंगे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तथा ऐसी रीति में उनका उपयोग किया जायगा जैसा कि विहित किया जाय ।

17. लेखे तथा संपरीक्षा.- (1) परिषद के लेखे ऐसी तारीख के पूर्व तथा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये, तैयार किये जायेंगे ।

(2) परिषद के लेखाओं की संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा सचालक द्वारा की जायेगी और वे मध्यप्रदेश स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) के उपबन्धों के अध्यधीन होंगे ।

(3) जैसे ही परिषद के लेखाओं की सपरीक्षा हो जाये, परिषद उनकी एक प्रतिलिपि उस पर स्थानीय निधि लेखा संचालक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ, राज्य सरकार को ऐसे रीति में भेजेगी जो कि विहित की जाय ।

18. बजट.- (1) रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप मे, जैसा कि विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के संबध में बजट तैयार करवायेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तिया तथा व्यय दर्शाये जायेंगे और उसे परिषद के समक्ष ऐसे समय पर, तथा ऐसी रीति मे रखवायेगा जैसा कि विहित किया जाये ।

(2) उस सम्मिलन की, जिसमे बजट पारित किया गया हो, तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वह (बजट) राज्य सरकार को या राज्य -सरकार के ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस सबंध में विनिर्दिष्ट करे, अग्रेषित किया जायेगा ।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित किये गये बजट के प्रावधान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त नही है, तो वह (सरकार) बजट को, उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिये, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाये जाये, परिषद को वापस कर देगी ।

(4) परिषद इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष मे और ऐसे शीर्षो या गौण शीर्षो के अन्तर्गत पुनर्विनियोग करे ।

(5) परिषद्, जैसा और जब अपेक्षित हो, अनुपूरक बजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक, जो कि विहित की जाय, पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे ।

पांचवा अध्याय-परिषद का रजिस्ट्रार तथा उराके अन्य कर्मचारी

19. रजिस्ट्रार.- (1) परिषद, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी । रजिस्ट्रार परिषद का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी सेवा के निबंधन तथा शर्ते जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आते है, ऐसी होगी जो कि विहित की जाय

परन्तु रजिस्ट्रार का पद दो माह से अनधिक कालावधि के लिये रिक्त रहने की दशा में, परिषद किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप मे कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार, परिषद का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद के समस्त कर्मचारी उसके अधीनस्थ होगे । वह परिषद का, धारा 9 के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति का तथा समस्त अन्य समितियो का उस समिति को छोडकर जिसमे रजिस्ट्रार के आचरण के संबंध में जांच की जा रही हो, सचिव होगा ।

20. परिषद के अन्य कर्मचारी- परिषद ऐसे कर्मचारियो की नियुक्ति कर सकेगी जिन्हे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक समझे और कर्मचारियों की संख्या तथा उनके प्रवर्ग और उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्ते ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय ।

छटवां अध्याय-रजिस्ट्रीकरण

21. होम्योपैथी का राज्य रजिस्टर. - परिषद्, होम्योपैथी के व्यवसायियों का एक रजिस्टर, जो होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर के नाम से ज्ञात होगा, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टया अन्तर्विष्ट करते हुये, जो कि विहित की जाय, विहित रीति में रखवायेगी ।

(2) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तथा परिषद द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के उपबन्धो के अनुसार राज्य रजिस्टर को बनाये रखे और समय-समय पर उस रजिस्टर को पुनरीक्षित करे तथा उसे राजपत्र मे एवं ऐसी अन्य रीति मे प्रकाशित करे जैसी कि विहित की जाय।

(3) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (क्रमांक 1 सन् 1872) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायगा और राजपत्र मे प्रकाशित की गई प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

22. रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार व्यक्ति- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची मे वर्णित मान्य अर्हता रखता हो, किसी भी समय रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि विहित की जाय, अपना नाम रजिस्टर मे प्रविष्ट: करवाने का हकदार होगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, जो निरसित एक्ट के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में 15 सितम्बर, सन् 1975 के ठीक पूर्ववर्ती दिन को दर्ज था, इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले

रजिस्टर मे, ऐसे व्यक्ति से आवेदन करने की या किसी फीस का संदाय करने की अपेक्षा किये बिना ही, प्रविष्ट किया जायेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐसी फीस का संदाय ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, 15 सितम्बर, सन् 1975 से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करेगा और ऐसा करने में उसके द्वारा चूक करने पर उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप मे, ऐसी और कालावधि के भीतर आवेदन करने पर तथा ऐसी अतिरिक्त फीस का संदाय करने पर, जैसा कि विहित किया जाय, रजिस्टर मे पुन: प्रविष्ट किया जायगा

परन्तु यह और भी कि पुन: प्रविष्टि के लिये कोई भी आवेदन, पुर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् गहण नही किया जायगा, किन्तु इससे आवेदक के इस धारा के अधीन नवीन रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकरण प्रभाणपत्र विहित प्ररूप में दिया जायगा । ऐसे प्रमाणपत्र के खो जाने, विरूपित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा मे, उसकी दूसरी प्रति दस रूपये फीस का संदाय करने पर जारी की जायगी और इस प्रकार जारी किये गये प्रमाणपत्र पर "दूसरी प्रति" अंकित किया जायगा ।

23. रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि.- यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य रजिस्टर मे दर्ज किया जा चुका हो, होम्योपैथी मे कोई पदवी, उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता अभिप्राप्त कर ले, तो वह इस सबध मे आवेदन करने पर तथा पाच रूपये फीस का संदाय करने पर रजिस्टर मे अपने नाम के सामने, या तो पूर्व मे की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, ऐसी प्रविष्टि करने का हकदार होगा जिसमे ऐसी अन्य पदवी, उपाधि, उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता कथित की जायगी ।

24. चिकित्सीय व्यवसाय के लिये अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.- उस व्यक्ति का, जिसने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसके द्वारा इस संबंध मे आवेदन करने पर, रजिस्टर में अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जायगा जिससे कि वह,-

(क) उस दशा में जब कि मान्य अर्हता अभिप्राप्त करने के लिये पाठ्यक्रम में, उसको ऐसी अर्हता प्रदान की जाने के पूर्व, प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोई कालावधि सम्मिलित हो, तो किसी अनुमोदित संस्था में चिकित्सा का व्यवसाय कर सके ;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिषद द्वारा किये जाने वाले दीक्षांत-समारोह में उसे मान्य अर्हता प्रदान की जाने तक चिकित्सा का व्यवसाय कर सके ।

25. रजिस्टर से नाम हटाया जाना.- (1) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, ऐसे सम्यक् जांच के पश्चात् जो कि परिषद द्वारा विहित रीति में की गई हो, किसी अवचार का दोषी पाया जाय तो परिषद,-

(क) ऐसे व्यवसायी को संबोधित करते हुए चेतावनी का पत्र जारी कर सकेगी या

(ख) यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम,-

(एक) रजिस्टर से ऐसी कालावधि के लिये हटा दिया जाय जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, या

(दो) रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा दिया जाय ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिये अवचार से अभिप्रेत है-

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाना जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो और जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अर्थ के अन्तर्गत संज्ञेय हो;

(दो) किसी वृत्ति के सबध मे गर्हित आचरण अर्थात् वह वृत्तिक, अवचार जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (क्रमांक 59 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन विनियमों द्वारा विर्निर्दिष्ट किया गया है ।

(2) परिषद, पर्याप्त हेतुक दर्शाये जाने पर, किसी भी समय यह निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार से हटाया गया व्यवसायी का नाम, ऐसी शर्तो पर तथा ऐसी अतिरिक्त फीस का संदाय करने पर, जो कि परिषद अधिरोपित करे, रजिस्टर में पुन: प्रविष्ट किया जाय ।

(3) परिषद् स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् तथा उचित जांच करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्टर में की किसी भी प्रविष्टि को रद्द कर सकेगी या उसमें परिर्वतन कर सकेगी, यदि परिषद की यह राय हो कि ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्ण या गलती से की गई थी ।

(4) परिषद, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् और उचित जांच करने के पश्चात् रजिस्टर मे किसी भी व्यवसायी का नाम हटा सकेगी, यदि-

(क) उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ख) उसने व्यवसाय करना छोड दिया हो ;

(ग) उसने, इस कारण से कि वह होम्योपैथी से भिन्न किसी चिकित्सा-पद्धति का व्यवसायी है, होम्योपैथी का व्यवसाय करना छोड दिया हो ।

(5) इस धारा के अधीन जांच करने में, यथास्थिति, परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (क्रमांक 1 सन् 1872) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायगी तथा वह लोक सेवक (जाच) अधिनियम, 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त कर समस्त शक्तियो का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांचे, जहां तक संभव हो, लोक सेवक (जाच) अधिनियम 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) की धारा 3,5 तथा

8 से 20 तक के उपबंधो के अनुसार संचालित की जायगी ।

26. राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन- (1) रजिस्ट्रार, प्रतिवर्ष और समय-समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो. परिषद द्वारा इस सबध में नियत की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट किये गये नामों की पूर्ण या अनुपूरक सूची, राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति मे, जैसी कि परिषद उपबंधित करे, प्रकाशित करवायेगा तथा उसमे:-

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका कि नाम रजिस्टर मे प्रविष्ट है, रजिस्ट्रांकित पता और इसके द्वारा धारित पत्र या उसका वास्तविक नियोजन दिया जायेगा ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रांकित पदविया, उपाधिया, उपाधिपत्र तथा अन्य अर्हताए और वह तारीख दी जायेगी जिसको कि ऐसी प्रत्येक पदवी, उपाधि या उपाधि-पत्र दिया गया हो या ऐसी अर्हता प्रमाणित की गई हो ।

परन्तु रजिस्ट्रार उन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम समय-समय पर राजपत्र मे प्रकाशित करवायेगा जिनके कि नाम इस अधिनियम के किन्ही भी उपबंधों के अधीन, रजिस्टर मे से सम्यक् रूप से हटा दिये गये हो ।

(2) किसी भी कार्यवाही मे यह उपधारणा की जायगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार सूची में प्रविष्ट न किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले मे, जिसका कि नाम, सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात्, रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, रजिस्टर मे ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि इस बात की साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है । ऐसा प्रमाण-पत्र मुफ्त जारी किया जायगा ।

सातवां अध्याय-रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार

27. रजिक्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.- तत्समय प्रवृत किसी विधि मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी,-

(1) मध्यप्रदेश विधान मंडल के समस्त अधिनियमों मे और मध्यप्रदेश मे लागू हुए रूप में समस्त केंद्रीय अधिनियमों में, जहां तक कि ऐसे अधिनियम भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों मे से किसी भी विषय से संबंधित हो, अभिव्यक्ति' "वैधरूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी" या "सम्यक् रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी" के अन्तर्गत या किसी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति, जिससे इस अर्थ का द्योतन होता हो कि कोई कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी के रूप में या चिकित्सा वृत्ति के सदस्य के रूप मे विधि द्वारा मान्य है, के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी आयेगा ;

(2) कोई भी प्रमाण-पत्र, जो किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी से किसी अधिनियम या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित हो उस दशा मे विधिमान्य होगा जब कि ऐसा प्रमाण-पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिया गया हो

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, किसी भी ऐसे होम्योपैथी औषधालय, चिकित्सालय, पागलखाने, रूग्णालय या प्रसवालय में, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित हो या उससे अनुदान प्राप्त कर रहा हो, या किसी ऐसी लोक या प्राइवेट स्थापना, निकाय या संस्था में, जिसमे ऐसी चिकित्सा पद्धति व्यवहृत होती हो, किसी वृत्तिक पद, उसका पदनाम चाहे जो भी हो, धारण करने के लिये पात्र होगा,

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी इस बात का हकदार होगा कि वह राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसायी के रूप मे व्यवसाय करे और ऐसे व्यवसाय के संबध में, औषधियो या अन्य साधित्रों के बारे में, कोई व्यय या प्रभार, या कोई फीस जिसका कि वह हकदार हो, विधि के सम्यक् अनुकम मे वसूल करे ;

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसी वाछा करे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमाक 2 सन् 1974) के अधीन किसी मृत्यु-समीक्षा का कार्य करने से या जूरी सदस्य या असेसर के रूप में कार्य करने से छूट दी जायगी ।

28. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय आदि करने का, प्रतिषेध.- तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(1) धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति, अभिलाभ के लिये चिकित्सा व्यवसाय नही करेगा या प्रत्यक्षत: विवक्षित तौर पर स्वयं को इस रूप में नही जतलायेगा कि वह अभिलाभ के लिये होम्योपैथी का व्यवसाय करता है या इस व्यवसाय को करने के लिये सक्षम है,

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति.-

(क) किसी भी जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र को, जिसके कि सबंध मे तत्समय प्रवृत किसी विधि यह नियम द्वारा या अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा ;
(ख) किसी भी चिकित्सीय या शारीरिक योग्यता के प्रमाण-पत्र को, जिसके कि संबंध मे तत्समय प्रवृत किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा या
(ग) किसी मृत्यु-समीक्षा मे या किसी विधि न्यायालय मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (क्रमांक 1 सन् 1872) की धारा 45 के अधीन, चिकित्सा से संबंधित किसी विषय पर, विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिये अर्हित नहीं होगा ।

29. उपाधि या उपाधि-पत्र का मिथ्याग्रहण अपराध होगा.- कोई भी व्यक्ति, यह लक्षित करते हुए कि वह मान्य अर्हता रखता है या वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या उसका नाम धारा 53 मे निर्दिष्ट की गई सूची मे प्रविष्ट है, किसी भी पदवी या लक्षण (डिस्क्रिप्शन) का तब तक उपयोग नहीं करेगा या उसे अपने नाम के साथ नहीं जोडेगा, जब तक कि वह वास्तव मे ऐसी उपाधि, उपाधि-पत्र, अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र धारण न करता हो या धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो या निरसित एक्ट की धारा 18 के अधीन रखी गई सूची मे उसका नाम दर्ज न हो ।

30. उपाधि उपाधि-पत्र आदि के अप्राधिकृत रूप से प्रदान किये जाने का प्रतिषेध- परिषद्, विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था से भिन्न कोई भी व्यक्ति, संगम या संस्था कथित या लक्षित करते हुए कि किसी उपाधि, उपाधि-पत्र, अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र या किसी अन्य दस्तावेज का धारक, प्राप्तिकर्ता या ग्रहीता होम्योपैथी का व्यवसाय करने के लिये अर्हित है, कोइ भी उपाधि या उपाधि-पत्र प्रदान नहीं करेगा या कोई अनुज्ञप्ति मजूर नही करेगा या कोई प्रमाण-पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जारी नही करेगा ।

31. फीस का वापस न किया जाना- वह फीस, जो इस अधिनियम के किन्ही भी उपबंधो द्वारा या उनके अधीन संदाय की जाने के लिये अपेक्षित हो, वापस नही की जायेगी ।

आठवां अध्याय - होम्योपैथी की शिक्षा परीक्षाओं का संचालन, अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को मान्यता

32. परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं तथा अध्ययन पाठ्यक्रम और होम्योपैथी में गवेषणा- (1) परिषद्, विनियमो द्वारा, उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये, ऐसी परीक्षाओ हेतु अध्ययन-पाठ्यक्रम के लिये, उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या वैसे ही अन्य किसी पुरस्कार के लिये, जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियो को दिया जाना हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु स्तरमान के लिये तथा ऐसी अन्य बातो के लिये जो कि आवश्यक हो, उपबंध करेगी और ऐसा प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक संस्थाओं की स्थापना -कर सकेगी ।

(2) परिषद स्वंय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहायता से होम्योपैथी में गवेषणा संस्था की स्थापना कर सकेगी ।

33. संस्थाओं को मान्यता.- (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त सरथा परिषद की उन परीक्षाओं के लिये, जिनके कि लिये उस संस्था को मान्यता दी गई हो, विद्यार्थियो को तैयार करने के लिये हकदार होगी।

(2) कोई भी संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने की वांछा करती हो, रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसी फीस के साथ जैसा कि परिषद विनियमो द्वारा उपबंधित करे, आवेदन भेजेगी ।

(3) रजिस्ट्रार आवेदन को परिषद के समक्ष रखेगा और परिषद ऐसी जांच करने के पश्चात जो

कि वह आवश्यक समझे, मान्यता दे सकेगी या मान्यता देने से इन्कार कर सकेगी या ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए मान्यता दे सकेगी जैसी कि वह उचित समझे :

परन्तु मान्यता तब तक नही दी जायेगी जब तक कि-

(क) आवेदक ने मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 19 सन् 1973) के उपबंधो का अनुपालन न किया हो और उसे चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा प्रशासित करने या चलाने की अनुज्ञा न दे दी गई हो

(ख) होम्योपैथी मे शिक्षा के न्यूनतम स्तरमानो को यदि कोई हो, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (क्रमांक 59 सन् 1973) की धारा 20 के अधीन विहित किये गये हो, पूरा न कर लिया हो ।

34. स्तर को बनाये रखना.- परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि शिक्षा में प्रवीणता का यथेष्ट स्तर बना रहे ओर ऐसा स्तर प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, परिषद को यह प्राधिकार होगा कि वह परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था के या किसी ऐसी संस्था के, जिसने मान्यता हेतु आवेदन किया हो, प्राधिकारियों से या उसके शासी निकाय से यह अपेक्षा करे कि वह-

(क) विनियमों द्वारा विहित किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम के बारे में या, ऐसी संस्था द्वारा ली गई किसी परीक्षा के बारे मे ऐसी विशिष्टियां ऐसी कालावधि के भीतर दे जैसा कि परिषद द्वारा अपेक्षित किया जाय

(ख) परिषद को, महाविद्यालय तथा उसके शासी निकाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी दे और

(ग) परिषद या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे नियुक्त किये गये परिदर्शक या निरीक्षक या किसी सदस्य को संस्था का तथा उससे सबद्ध चिकित्सालयों का निरीक्षण करने दे और संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं मे या किसी परीक्षा में हाजिर रहने दे ।

35. परिर्दशकों निरीक्षकों तथा परिदर्शक समितियों की नियुक्ति.- (1) परिषद, विनियम में उपबंधित किये गये अनुसार, चिकित्सीय संस्थाओ का निरीक्षण करने तथा उनके कार्यकरण के सबंध में रिपोर्ट देने हेतु परिदर्शकों की तथा ऐसी परिदर्शक समितियो की नियुक्ति कर सकेगी जो परिषद के स्वय के सदस्यों से या बाहरी व्यक्तियो से या दोनों से, मिलकर बनेगी । परिदर्शक या परिदर्शक समिति के सदस्य व्ययों के भाग के रूप में चुकाया जाने वाला ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो कि विहित किया जाय।

(2) परिषद, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इतनी सख्या में तथा ऐसे निबन्धनो एव शर्तो पर निरीक्षको की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाय ।

(3) ऐसे निरीक्षक, परिषद द्वारा स्थापित या मान्यता की गई संस्थाओं का निरीक्षण, परिषद

द्वारा समय-समय पर दिये गये साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार करेंगे, तथा ऐसी संस्थाओं मे ली गई किसी भी परीक्षा के समय हाजिर रहेंगे और शिक्षा के स्तर की, जिसके अन्तर्गत कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाए आती हैं, यथेष्टता के बारे में या ऐसी प्रत्येक परीक्षा, जिसमे कि वे हाजिर रहे हों, की पर्याप्तता के बारे मे अपने सप्रेक्षणो से तथा अपनी राय से परिषद को सूचित करेंगे। तथापि, निरीक्षक या परिदर्शक प्रशिक्षण तथा परीक्षा के संचालन मे हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

36. मान्यता का प्रत्याहरण.- यदि परिषद को, निरीक्षण की रिपोर्ट पर से या अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि ऐसी मान्यता प्राप्त संख्या ने परिषद की या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद की अपेक्षाओ के अनुसार प्रशिक्षण का यथेष्ट स्तर नहीं बनाये रखा है, तो परिषद ऐसी संस्था को दी गई मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण कर सकेगी

परन्तु मान्यता संबंधी आदेश का प्रत्याहरण किया जाने के पूर्व संस्था को अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिये युक्तियुक्त अवसर तथा समय दिया जायेगा ।

37. छात्रवृत्ति, वृत्तिकाएं तथा पारितोषक- (1) परिषद मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियो को, अपनी निधि में से छात्रवृत्ति, पारितोषिक तथा पदक प्रदान कर सकेगी । (2) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से,-

(क) निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियो को वृत्तिकाएं मजूर कर सकेगी

(ख)भारत में या भारत के बाहर स्थित किसी भी संस्था में, जिसे कि परिषद उचित समझे, होम्योपैथी मे गवेषणा के लिये तथा उच्चतर या विशेष अध्ययन क लिये छात्रवृत्तिया मंजूर कर सकेगी ।

38. दीक्षांत-समारोह का किया जाना, सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना.- (1) परिषद उन व्यक्तियो को, जो परिषद द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में ली गई परीक्षा मे सफल हुए हो, उपाधियों, उपाधि-पत्र तथा अन्य पुरस्कार देने के लिये प्रत्येक वर्ष में एक बार दीक्षान्त समारोह कर सकेगी ।

(2) परिषद, ऐसे दीक्षान्त समारोह में ख्याति प्राप्त होम्योपैथी व्यवसायी को तथा असाधारण कुशलता वाले अन्य ऐसे व्यक्तियो को सम्मानिक उपाधियां प्रदान कर सकेगी ।

39. पाठ्य-पुस्तकों, आदि का प्रकाशन.- परिषद, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओ के लिये, उसके द्वारा विहित किये गये अध्ययन-पाठ्यक्रम् हेतु पाठ्य-पुस्तके तैयार कर सकेगी तथा उन्हे प्रकाशित कर सकेगी और परिषद का जरनल प्रकाशित कर सकेगी ।

नवां अध्याय-नियंत्रण

40. राज्य सरकार का नियंत्रण.- (1) यदि किस भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियो मे से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में चूक की है या उसका अतिरेक किया है या उसका दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त कर्तव्यो मे से किसी भी कर्तव्य का पालन करने मे चूक की है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी आ, अतिरेक या दुरूपयोग को गम्भीर स्वरूप का समझती है, परिषद को

उसको विशिष्टिया अधिसूचित करेगी और यदि परिषद ऐसे समय के भीतर जिसे कि राज्य सरकार इस सबध में नियत करे, ऐसी चूक, अतिरेक या दूरूपयोग का उपचार करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार परिषद को पाच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जो कि वह उचित समझे, विधटित कर सकेगी तथा नवीन परिषद अस्तित्व मे लाने की कार्यवाही करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद का विघटन होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्

(क) परिषद के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष के बारे में यह समझा जायगा कि उन्होने ऐसी परिषद् के विघटन की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये है

(ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों का पालन, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासक कहलाये जाने वाले ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे कि राज्य सरकार, इस सबंध में, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे

(ग) परिषद में निहित समस्त सपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये, प्रशासक में न्यासत: निहित हो जायगी ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा और उसे (राज्य सरकार को) उस अधिकारी के स्थान पर दूसरा अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन प्रशासक नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी, अपनी सेवाओं के लिये परिषद-निधि से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय ।

(5) प्रशासक उस तारीख से पद पर नही रहेगा जो कि यथा पुर्नगठित परिषद के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई हो ।

(6) राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझे, तो उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के प्रयोजन के लिये सात से अनधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की एक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगी । समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करेगा जिस दर से कि भत्ते परिषद के, देय होते है ।

41. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जानकारी प्रस्तुत करेंगे- (1) परिषद् अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे,-

(क) परिषद के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले के बारे मे कोई विवरणिया, आकडे या कोई अन्य जानकारी दे

(ख) किसी भी ऐसे मामले के संबध से रिपोर्ट या स्पष्टीकरण दे

(ग) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र-व्यवहार, योजना या किन्हीं अन्य ऐसे दस्तावेजो की प्रतिलिपि दे जो कि अध्यक्ष के नाते उसके कब्जे या नियंत्रण में हो या जो परिषद के किसी सेवक के कार्यालय मे अधिलिखित या फाइल किये गये हों ।

(2) अध्यक्ष, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा का अनुपालन बिना किसी अनुचित विलम्ब के करेगा ।

42. परिषद के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति- यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद के या परिषद की समितियों में से किसी भी समिति के या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी या अधिकारी के किसी आदेश का या सकल्प का निष्पादन किया जाना या किसी ऐसे कार्य का किया जाना, जो कि परिषद द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया, जा रहा हो, विधि के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुरूप नहीं है या परिषद् के हितो के लिये या लोक हितो के लिये अपायकर है, तो वह (राज्य सरकार) लिखित आदेश द्वारा ऐसे सकल्प या. आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगी या किसी भी ऐसे कार्य के किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी

परन्तु किसी भी उस आदेश मे, उस आदेश के विरूद्ध परिषद् को कारण दर्शाने का यक्तियुक्त अवसर दिये बिना, फेरफार नही किया जायगा या उसे उलटाया नही जायेगा ।

दसवां अध्याय-प्रकीर्ण

43. दस्तावेज पेश करने के लिये परिषद् के सेवकों को समन करने पर निर्बन्धन.- परिषद् के किसी भी सदस्य या अधिकारी या सेवक को, किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही मे, जिसमे कि परिषद् पक्षकार न हो, कोई रजिस्टर या दस्तावेज पेश करने या उसमें अभिलिखित बाल को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसजात होने के लिये तब तक अपेक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय विशेष कारणो से ऐसा निदेश न दे ।

44. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परित्राण- किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमो के अधीन सदभावपूर्वक की गई हो या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नही की जायेगी ।

45. परिषद् का रजिस्ट्रार तथा अन्य सेवक लोक सेवक होंगे.- परिषद का रजिस्ट्रार तथा कोई भी अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।

46. अपराधों का संज्ञान.- (1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का न संज्ञान करेगा और न उसका विचारण करेगा ।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे परिषद साधारण या विशेष ओदश द्वारा इस सबंध में प्राधिकृत करे, को गई लिखित शिकायत पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।

47. असेसर की नियुक्ति.- (1) किसी जांच में या सामान्यता उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्नो

पर परिषद् को सलाह देने के प्रयोजन के लिये परिषद द्वारा असेसर की नियुक्ति की जा सकेगी जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (क्रमांक 25 सन् 1961) के अधीन नांमांकित किया गया अधिवक्ता होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी असेसर को या तो समान्यत: या किसी विशिष्ट जांच या जांचो के वर्ग के लिये नियुक्त किया जा सकेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक संदाय किया जायेगा जो कि परिषद द्वारा अवधारित किया जाये ।

48. अपीलें.- (1) (क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के प्रत्येक विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध अपील परिषद को होगी
(ख) उस विनिश्चय को छोडकर जो कि खण्ड (क) के अधीन अपील में परिषद द्वारा किया गया हो, इस अधिनियम के अधीनं परिषद के प्रत्येक विनिश्चय के विरूद्ध अपील राज्य कलाई को होगी ।

(2) प्रत्येक अपील, ऐसी कालावधि के भीतर ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये ।

(3) अपील मे, यथास्थिति, परिषद या राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

49. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.- (1) भारत मे या भारत के बाहर स्थित कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य ऐसी चिकित्सीय संस्था, जो होम्योपैथी में ऐसी चिकित्सीय अर्हताएं प्रदान करती हो जो कि अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हताओं को मान्यता प्राप्त कराने हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित करेगी कि जिससे ऐसी अर्हता उस अनुसूची में सम्मिलित हो जाये, और ऐसी अधिसूचना मे यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि ऐसी अर्हता मान्य अर्हता होगी जबकि वह विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पश्चात् प्रदान की जाये ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार सशोधित कर सकेंश् । कि जिससे उसमे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (क्रमांक 59 सन् 1973) की द्वितीय तथा तृतीय अनुसूची में समय-समय पर सम्मिलित की गई मान्य चिकित्सीय अर्हता सम्मिलित की जा सके ।

50. शास्ति.- कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों मे से किसी भी उपबन्ध का या उसके अधीन बनाये गये नियमो में से किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम बार दोषसिद्ध ठहराये जाने पर एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दडनीय होगा और यदि ऐसा उल्लघन करने वाला व्यक्ति कोई संस्था हो, तो ऐसी संस्था का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुये या जानबूझकर ऐसा उल्लंधन प्राधिकृत करेगा या उसके लिये अनुज्ञा देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम बार दोष सिद्ध ठहराये जाने पर एक हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध के लिये दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दडनीय होगा ।

ग्यारहवां अध्याय-नियम तथा विनियम

51. नियम बनने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टित: तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों मे निम्नलिखित समस्त विषयो या उसमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् -

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति

(ख) धारा 4 के अधीन सदस्य के निर्वाचन का ढंग ;

(ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र ;

(घ) धारा 8 के प्रयोजनों के लिये सम्मिलन करने की रीति ;

(ङ) परिषद तथा उसकी समितियो के सम्मिलनों का समन किया जाना तथा समय तथा स्थान जहा कि ऐसे सम्मिलन किये जाने हो, उनमे किये जाने वाले कामकाज का सचालन तथा उनमें की गई कार्यवाहियो के कार्यवृत्त का रखा जाना और समितियों के सम्मिलनो में गणपूर्ति करने के लिये आवश्यक सदस्य संख्या

(च) धारा 15 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या भत्ता

(छ) (एक) तारीख जिसके पूर्व, अन्तराल जिन पर तथा रीति जिसमे, परिषद के लेखे धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये जायेगे

(दो) रीति जिसमें संपरीक्षित लेखाओं की प्रतिलिपि, धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ;

(ज) (एक) प्ररूप, जिसमें धारा की उपधारा (1) के अधीन बजट तैयार किया जायगा, और ' समय, जब तथा रीति जिसमें वह बजट परिषद् के समक्ष रखा जायगा ;

(दो) प्ररूप जिसमे तथा तारीख जिस तक धारा की उपधारा (4) के अधीन अनुपूरक बजट तैयार किया जायगा

(झ) धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रार का काडर, उसकी अर्हताये, उसका वेतन तथा भत्ते और अन्य निबन्धन तथा शर्ते एव अनुशासनिक नियत्रण और अपील करने का अधिकार

(ञ) परिषद् के ऐसे अधिकारियों तथा सेवको की, जो रजिस्ट्रार से भिन्न हों, सख्या, उनका काडर, उनकी अर्हतायें, उनकी भरती उनके वेतन, उनके भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एव शर्ते ; जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियत्रण और अपील का अधिकार आता है, जो कि धारा 20 के अधीन विहित की जानी है

(ट) (एक) रीति जिसमे धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर रखा जायगा

(दो) रीति जिसमे धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर प्रकाशित किया जायगा;

(ठ) (एक) फीस तथा वह प्ररूप जिसमें धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जायगा

(दो) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन फीस तथा उस फीस का संदाय करने की रीति

(तीन) प्ररूप, जिसमे धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया जायगा ;

(ड) रीति जिसमे धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जांच की जायगी

(ढ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षको की संख्या, उनका काडर, उनकी अर्हताये, उनकी भरती, उनका वेतन, उनके भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य

निबन्धन एवं शर्ते जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियत्रण और अपील का अधिकार आता है ;

(ण) कालावधि जिसके भीतर, तथा रीति जिसमे, धारा 48 के अधीन अपील की जायगी और फीस जो ऐसी अपील के साथ दी जायगी

(त) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाय या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमो द्वारा उपबन्धित किया जाना हो या उपबन्धित किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

52. विनियम बनाने की शक्ति- (1) परिषद साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व मजूरी से, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुए, विनियम बना सकेगी तथा ऐसे विनियमो में, इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेगे

(क) परिषद् की कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियो के लिये सदस्यों का निर्वाचन;

(ख) कार्यकारिणी समिति की शक्तिया तथा उसके कर्तव्य

(ग) परिषद की शक्तिया तथा उसके कर्तव्य जो धारा 10 के अधीन अध्यक्ष को प्रदत्त की जानी हों तथा उस पर अधिरोपित किये जाने हो

(घ) रीति, जिसमे धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियो की सूची प्रकाशित की जायगी

(ड) धारा 32 के अधीन प्रशिक्षण तथा अर्हक परीक्षा के लिये अध्ययन-पाठयक्रम और ऐसी परीक्षा मे संस्था के विद्यार्थियो के प्रवेश की शर्ते तथा परीक्षा

(च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्ते तथा परीक्षा के संचालन से संबंधित समस्त विषय जिनके अन्तर्गत पारिश्रमिक तथा अन्य व्यय आते है

(छ) मान्यता प्राप्त संस्थाओ के अध्यापको की संख्या, अर्हताए तथा उनकी उपलब्धिया और प्रत्येक संस्था में अध्ययन-पाठयक्रमों के लिये प्रभारित की जाने वाली फीस

(ज) संस्थाओ को मान्यता देने की शर्ते और ऐसी संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को बनाये रखना

(झ) शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए, वृत्तिकाये, छात्रवृत्तिया, पारितोषिक तथा पदक मजूर किये जायेगे

(ञ) कोई भी विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध विनियम द्वारा किया जाय ।

(2) राज्य सरकार, विनियमो को जब कि वे मंजूरी के लिये प्राप्त हो जाय, ऐसे उपान्तरणो के अध्यधीन, जैसे कि वह उचित समझे, मजूरी कर सकेगी, या उन पर और आगे विचार करने के लिये उन्हे परिषद को वापस कर सकेगी ।

(3) समस्त विनियम "राजपत्र" में प्रकाशित किये जायेगे ।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी ।.

बारहवां अध्याय-व्यावृत्ति

53. व्यावृत्ति - मध्यप्रदेश होम्योपैथिक एण्ड बायोकेमिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1951 (क्रमांक 26 सन् 1951) का निरसन हो जाने पर भी, उन व्यक्तियो को, जिनके कि नाम निरसित एक्ट की धारा

18 के अधीन रखी गई सूची में दर्ज है, राज्य मे होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसाय करने से सबध मे वे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे जो कि उन्हे निरसित एक्ट के अधीन प्राप्त थे ।

तेरहवा अध्याय-अस्थायी उपबन्ध

54. अस्थायी उपबन्ध- परिषद्, निरसित एक्ट के अधीन बनाये गये नियमो तथा विनियमों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे उपान्तरण कर सकेगी जिन्हे कि वह इस अधिनियम के उपबन्धो को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये उचित समझे और इस प्रकार उपान्तरित किये गये नियम या विनियम तब तक प्रवृत बने रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमो या विनियमों द्वारा निरस्त न कर दिये जाये ।

55. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.- यदि इस अधिनियम के उपबन्धो को प्रभावशील करने मे कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धो से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी ।

56. निरसन.- मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अध्यादेश, 1975 (क्रमाक 13 सन् 1975) एतदद्वारा निरस्त किया जाता है ।

अनुसूची

(धारा 22 देखिये)

होम्योपैथी में मान्य चिकित्सीय अर्हताएं, जो भारत में तथा भारत के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों, परिषदों द्वारा प्रदान की गई है.

विश्वविद्यालय, कोर्ट, परिषद, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था का नाम	मान्य चिकित्सीय अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षेपाकार	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
	आँध्रप्रदेश		
1. आंध्र प्राविन्शियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज,गुडीवाडा	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन	डी.एच.एम.	अप्रेल सन 1949 से मार्च सन 1969 तक
2. डॉ. गुरुराजू गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज,गुडीवाडा	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	डी.एच.एम.एस.	अप्रेल सन 1970 से आगे.
3. बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, हैदराबाद	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी.एच.एम.एस.	अक्टूबर 1971 से
	बिहार		
4. बिहार स्टेट, बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन	डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी.एम.एस.	1961 से
	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी.एच.एम.एस.	1971 से आगे
5. बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिल्ली	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक साइंस	डी.एच.एस.	1965 से 1970-71 तक
	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक साइंस	डी.एच.एम.एस.	1971 से आगे
	कर्नाटक		
6. दि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वेलगांव	लाइसेंशीएट ऑफ दि कोर्ट ऑफ एक्जामिनर्स इन होम्योपैथी	एल.सी.इ.एच.	जून 1971 से दिसंबर 1971 तक
7. कोर्ट ऑफ एक्जामिनर्स इन होम्योपैथिक एजुकेशन,बैंगलोर	लाइसेंशीएट ऑफ दि कोर्ट ऑफ एक्जामिनर्स इन होम्योपैथी	एल.सी.इ.एच.	जनवरी 1971 से
	ग्रेजुएट ऑफ दि कोर्ट ऑफ एक्जामिनर्स इन होम्योपैथी	एल.सी.इ.एच.	जनवरी 1973 से
	केरल		
8. रायल कॉलेज ऑफ होम्योपैथी फिजिशियन इरनाकुलम	लाइसेंशीएट ऑफ रायल कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन	एल.आर.सी.एच.पी.	1966-67 तक
9. बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स इन होम्योपैथी, गवर्मेंट ऑफ केरल	डिप्लोमा इन होम्योपैथीक मेडिसिन	डी.एच.एम.	1962 से आगे
	मध्यप्रदेश		
10. दि बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक एण्ड वायोकेमिक सिस्टमस ऑफ मेडिसिन, मध्यप्रदेश	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक एण्ड वायोकेमिस्ट्री	डी.एच.बी.	अक्टूबर 1955 से आगे
	महाराष्ट्र		
11. दि कोर्ट ऑफ एक्जामिनर ऑफ होम्योपैथिक एण्ड वायोकेमिक सिस्टमस ऑफ मेडिसिन,मुंबई	लाइसेंशीएट ऑफ दि कोर्ट ऑफ एक्जामिनर इन होम्योपैथी	एल.सी.इ.एच.	दिसंबर 1961 से आगे
	डिप्लोमा इन होम्योपैथी एण्ड	डी.एच.बी.	अक्टूबर 1955 से

	वायोकेमिस्ट्री		आगे
12. कोर्ट ऑफ एक्जामिनर इन होम्योपैथी	फेलो ऑफ द कोर्ट ऑफ एक्जामिनर इन होम्योपैथी	एफ.सी.इ.एच.	केवल मई 1958 में
13. विर्दभ बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक एण्ड वायोकेमिक सिस्टमस ऑफ मेडिसिन्स,नागपुर	डिप्लोमा इन होम्योपैथी एण्ड वायोकेमिस्ट्री	डी.एच.वी.	1.11.1956 से
	ओडिसा		
14. ओडिसा बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन,भुवनेश्वर	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी.एच.एम.एस.	1972 से आगे
	उत्तरप्रदेश		
15. स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ	ग्रेजुएट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी,एच.एम.एस.	1961 से 1963 तक
	बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.एम.एस.	1958 से 1960 तक और 1970 से आगे
	सर्टिफिकेट ऑफ होम्योपैथिक प्रेक्टिस	सी.एच.पी.	
16. आगरा यूनिवर्सिटी,आगरा	ग्रेजुएट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी.एच.एम.एस.	1965 से 1967 तक
17. कानपूर यूनिवर्सिटी,कानपुर	ग्रेजुएट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी.एच.एम.एस.	1967 से आगे
18. नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,लखनऊ		एच.एल.एम.एस.	1923 से 1936 तक
		एच.एम.डी.	1925 से 1942 तक
		एच.एम.बी.	1925 से 1942 तक
		बी.एम.एस.	1950 से 1957 तक
19. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ, लखनऊ		एच.एम.बी.	1931 से 1936 तक
20. दि सुपीरियर इंडिपेंडेंट इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाईड साइंस, लखनऊ		एम.डी.एच.	1916 से 1946 तक
	पश्चिम बंगाल		
21. दि काउन्सिल एण्ड स्टेट फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, वेस्ट बेंगाल	डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी.एम.एस.	1965 से आगे
22. जनरल काउन्सिल एण्ड स्टेट फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन,वेस्ट बेंगाल	डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी.एम.एस.	1943 से 1964 तक
23. केल्कटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केल्कटा	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन	एच.एम.बी.	1936 तक
	बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी	बी.एम.वी.एस.	1936 से 1942 तक
24. बेंगाल एलीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केल्कटा	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.एच.एम.एस.	1942 तक
	मास्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एम.एच.एम.एस.	1942 तक

	लाइसेंशीएट इन होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एल.एच.एम.एस.	1942 तक
25. दुनहेम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केल्कटा	मेंबर ऑफ दुनहेम कॉलेज ऑफ होम्योपैथी	एम.डी.सी.एच.	1942 तक
26. आशुतोष होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केल्कटा	प्रक्टिशनर ऑफ राशनेल सिस्टम ऑफ मेडिसिन	पी.आर.एस.एम.	1942 तक
	प्रेक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट	पी.एच.ए.	1942 तक
27. हेरिंग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केल्कटा	लाइसेंशीएट ऑफ दि राशनेल होम्योपैथिक सोसायटी	एल.आर.एच.एस.	1942 तक
28. रेगुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केल्कटा	लाइसेंशीएट होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एच.एल.एम.एस.	1942 तक
29. नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केल्कटा	लाइसेंशीएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी एन होम्योपैथिक	एच.एल.एम.एस.	1942 तक
30. सेंट्रल होम्योपैथिक कॉलेज, केल्कटा		एच.एल.एम.एस.	1910
		एच.एम.बी.	1910
31. बेंगाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केल्कटा	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन	एच.एम.बी.	1942 तक
भारत से बाहर चिकित्सीय संस्थाओ द्वारा दी गई अर्हताएं			
1. फेकल्टी ऑफ होम्योपैथी लन्दन	डिप्लोमा ऑफ दि फेकल्टी ऑफ होम्योपैथी	डी.एफ.होम.	
2. फेकल्टी ऑफ होम्योपैथी लन्दन	मेंबर ऑफ दि फेकल्टी ऑफ होम्योपैथी	एम. एफ.होम.	
3. फेकल्टी ऑफ होम्योपैथी लन्दन	फैलो ऑफ दि फेकल्टी ऑफ होम्योपैथी	एफ.एफ.होम.	